दिनांक: 10-05-2023

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़ पुलिस ने मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी को किया गिरफ्तार, आलाकत्ल बसौली बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09-05-2023 को वादी ललित कुमार पुत्र स्व0 श्री समय सिंह निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जिला सहारनपुर ने थाना नकुड पर आकर सूचना दी कि उसके ही गांव के रहने वाले रोशन सिंह ने उसके पिताजी समय सिंह के सिर में बसौली मारकर हत्या कर दी है। लिखित तहरीर के आधार पर रोशन सिंह के विरूद्ध थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 177/23 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया था।

घटना की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर, CO नकुड़ एवं SHO नकुड़ तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण कर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा हत्या का शीघ्र अनावरण करने हेतु थाना प्रभारी नकुड को निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर व क्षेत्राधिकारी नकुड़ सहारनपुर के निकट पर्यवेक्षण में आज दिनांक 10.05.2023 को थाना नकुड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मात्र 15 घंटे में समय सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए हत्यारोपी **रोशन पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** को ग्राम रनियाला दयालपुर से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशांदेही पर आलाकत्ल बसौली बरामद की गयी है। अभि0 पहले भी थाना नकुड़ से मु0अ0सं0 195/14 धारा 382/436 भादवि0 व मु0अ0सं0 101/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम में जेल जा चुका है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त रोशन सिंह ने पूछताछ पर बताया कि मैं पढ़ा लिखा नही हूँ। मेरे ही गांव के रहने वाले श्याम सिंह उर्फ समय सिंह पुत्र सुक्कड़ पर मेरे 18 हजार रूपये उधार थे। मैने पहले भी उससे अपने रूपये मांगे लेकिन वह मेरे रूपये नही दे रहा था और मुझसे बदतमीजी करता व लड़ने मरने पर उतारू हो जाता था। कल दिनांक 09.05.23 को मैं सुबह बसोली लेकर श्याम सिंह उर्फ समय सिंह के घर गया, वह घर पर अकेला था। उसके परिवार के लोग किसी कार्यक्रम में शामिल होने गये थे। मैने उससे अपने उधार दिये रूपये मांगे तो वह मुझसे फिर से बदतमीजी करने लगा तो मैने गुस्से में आकर उसके सिर मे बसौली मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और मैं उसके घर से चुपचाप अपने घर आ गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रोशन पुत्र मामचन्द निवासी ग्राम रनियाला दयालपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर (उम्र 54 वर्ष)

बरामदगी-

❖ 01 आलाकत्ल बसौली

अभियुक्त रोशन सिंह का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 195/14 धारा 382/436 भादवि0 थाना नकुड़ सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 101/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना नकुड़ सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 177/23 धारा 302 भादवि0 थाना नकुड़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजेन्द्र प्रसाद वशिष्ठ थाना नकुड़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
3. है0का0 569 नीरज कुमार थाना नकुड़ सहारनपुर
4. है0का0 559 सन्नी राणा थाना नकुड़ सहारनपुर
5. का0 71 ब्रजवीर सिंह राणा थाना नकुड़ सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक 10.05.2023

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक. सहारनपुर द्वारा अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान थानाध्यक्ष थाना फतेहपुर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 10.05.2023 को थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा गश्त के दौरान 01 अभियुक्त सालू उर्फ शाहवाज पुत्र झब्बू उर्फ अयाज खान निवासी ग्राम हाकमशाह कालोनी, 60 फुटा रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर को रमईया आईटीआई के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 89/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सालू उर्फ शाहवाज ने पूछने पर बताया कि मैं यह चाकू शौकिया तौर पर लोगो को डराने व धमकाने व अपनी सुरक्षा के लिये रखता हूँ और यह चाकू मैने ट्रेन मे जाते हुये एक अन्जान लड़के से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. सालू उर्फ शाहवाज पुत्र झब्बू उर्फ अयाज खान निवासी ग्राम हाकमशाह कालोनी, 60 फुटा रोड थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

पंजीकृत अभियोगो का विवरण

1. मु0अ0सं0 89/23 धारा 4/25 आयुध अधि0

बरामद माल का विवरण –

01 चाकू नाजायज

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 395/2018 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1. का0 1354 अभिषेक खोखर थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. पीआरडी पवन थाना फतेहपुर सहारनपुर

प्रेस नोट दिनांक-10.05.2023

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कच्ची शराब बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व नशा तस्कर/वांछित/वारण्टियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री प्रमोद कुमार के कुशल नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चैकिंग व गस्त के दौरान अभियुक्त सुरेन्द्र पुत्र महावीर नि0 ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर को 10 लीटर अवैध कच्ची शराबखाम के साथ जंगल ग्राम उमरी कलां से गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 -117/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. सुरेन्द्र पुत्र महावीर नि0 ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनि0 जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण

1. 10 लीटर शराब बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 महेशचन्द थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर
3. का0 688 प्रवीण थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर